# ...य सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
## पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ ( R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 100/2020 प्रार्थना पत्र
GCMS No. – 2020/00260

...त्यनारायण पिता भंवरलालजी आमेटा जाति ब्राह्मण निवासी धनोरा तहसील निम्बाहेडा ...जिला चित्तौडगढ राज०

...... प्रार्थी

//बनाम//

भंवरलाल पिता नंदरामजी आमेटा जाति ब्राह्मण निवासी धनोरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

शिवप्रकाश पिता भंवरलालजी आमेटा जाति ब्राह्मण निवासी धनोरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

... उपपंजीयक निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

... भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955**

उपस्थितिः– 1. श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री जगदीश मेनारिया – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2

::निर्णय:: दिनांकः– 21.09.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी एवं विपक्षीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की पुश्तैनी पृतक कृषि आराजियात राजस्व ग्राम धनोरा पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० के खाता नम्बर 275 की आराजी नम्बर 1092 रकबा 0.3600 हेक्टेयर स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी पेश हैं।

2. उपरोक्त वर्णित खाता संख्या वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी एवं विपक्षीगण की संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजि[illegible] नंदराम पिता राधाकिशन जी आमेटा ब्राहम्ण निवासी धनोरा के जमाने से च[illegible] हैं। नंदराम जी का देहान्त करीब 36 वर्ष पूर्व हो चुका है नंदराम जी के वैध [illegible] विपक्षी नम्बर 1 भंवरलाल एवं उनके भाई जगदीश व [illegible] हुवे [illegible] मध्य बटवारा हो गया है तथा वादग्रस्त आराजियात विपक्षी नम्बर 1 [illegible] हैं। विप[illegible] 1 भंवरलाल के दो पुत्र प्रार्थी सत्यानारायण व विपक्षी [illegible] 2 शिवप्रकाश [illegible] वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी का जन्म से अधिकार निहित हो[illegible] प्रार्थी का उक्त आराजियात में बर्थ इन्ट्रेस्ट निहित हैं। वादग्रस्त आराजी नम्बर 1092 एवं दिगर आराजियात को मिलाते हुवे विपक्षी नम्बर 1 ने सन 2004 से पूर्व अपने हक हिस्से की समस्त आराजियात एवं वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी व विपक्षी नम्बर 2 को मध्य मौखिक रुप से बाहमी तौर से हिस्सा व बटवारा कर दिया था तथा वादग्रस्त आराजियात जो बीड़ा वाली आराजियात के नाम से जाना जाता है उक्त आराजियात में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा एवं विपक्षी नम्बर 2 का 1/2 हिस्सा रखा है पश्चिमी दिशा का हिस्सा प्रार्थी के व पूर्वी दिशा का हिस्सा विपक्षी नम्बर 2 के शिवप्रकाश के रहा तथा विपक्षी नम्बर 1 का वादग्रस्त आराजियात में कोई हक हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:51 IST
Reason: SelfAttested

हो रखा विपक्षी नम्बर 1 के दिगर आराजियात हिस्से में रखी तथा उक्त 2004 के मौखिक हिस्से व बटवारे को मानते एक याददाश्त बटवारा नामा प्रार्थी व विपक्षी नम्बर 1 ने प्रार्थी व विपक्षी नम्बर 2 के पक्ष मे दिनांक 13/08/2006 को रुबरु गवाहन व रिश्तेदारान कि मौजूदगी में 20 /— रुपये के स्टाम्प पर निषादित करा कर गवाही गवाहन करा कर प्रार्थी को सुपुर्द की तथा उक्त वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा रखा एवं 1/2 हिस्सा विपक्षी नम्बर2 के रखा इस प्रकार उक्त बीडे वाली आराजियात पर प्रार्थी व विपक्षी नम्बर2 का 1/2 – 1/2 हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा चला आ रहा है प्रार्थी ने अपने हिस्से के चारों ओर पत्थरो की दिवार बना रखी हैं तथा उक्त 1/2–1/2 हक हिस्से अनुसार प्रार्थी व विपक्षी नम्बर2 अपने–अपने एक हिस्से अनुसार मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी ने विपक्षीगणों को वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा प्रार्थी के नाम तथा 1/2 हिस्सा विपक्षी नं 02 के नाम घोषित करा कर इसी अनुसार खातेदारी में दर्ज कराने हेतु विपक्षीगण को कहा तो विपक्षीगण टाल चाल कर रहे हैं तथा विपक्षी नम्बर 1 विपक्षी नम्बर 2 के सिखावे में आकर वादग्रस्त आराजियात को हस्तांतरण रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरीत कर प्रार्थी को उसके 1/2 हक हिस्से की आराजियात से महरुम कर बेदखल करने पर आमादा है

3. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की विपक्षीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जावे कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित प्रार्थी को उसके 1/2 हक हिस्से की पुश्तैनी तक आराजियात से प्रार्थी को जबरन बेदखल नही करें न करावें, वादग्रस्त आराजियात को हस्तांतरण, रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरीत नहीं करें न करावें, राजस्व रेकार्ड मे परिवर्तन नही करे न करावें, प्रार्थी को वादग्रस्त आराजियात पर शांति पूर्ण तरीके से काबिज होकर काश्त करने दे उसमे किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करे न करावें, राजस्व रेकार्ड व मौके की यथा स्थिति मुल वाद के निर्णय तक बनाये रखे।

4. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और अपने जवाब प्रार्थना में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की चरण में वर्णिज आराजी नम्बर व रकबा सही होने से अस्वीकार है। बाकी तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मन गड़ंत व सत्य तथ्यों पर आधारीत होने से अस्वीकार है। सही तो यह है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा व मोके पर कोई बंटवाडे में नही आई है तथा प्रार्थी के बंटवाडे में विपक्षी नम्बर 1 के खातेदारी की आराजियात जो अन्य आराजियात जो खाता संख्या 182 की आराजियात में प्रार्थी को हक हिस्से में आई तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात प्रार्थी के हक हिस्से में नहीं आई है नाही प्रार्थी का उक्त आराजियात पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। तथा प्रार्थी के द्वारा उक्त वाद में अपनी बहन कमला बाई जो जाईन्दा भंवरलाल जी की पुत्री है व विपक्षी नम्बर 1 व 3 की पुत्री है। जिसको उक्त प्रार्थना में आवश्यक पक्षकार नही बनाया गया है। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में चलने योग्य नही है खारीज होने योग्य है तथा प्रार्थी का उक्त बीडे में जो प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात 1092 रकबा 0.3600 हैक्टेयर है उसमें प्रार्थी के हक हिस्से में नही आकर विपक्षी संख्या 2 के हक हिस्से में आई है तथा एक हिस्से अनुसार प्रार्थी और विपक्षी काबिज होकर उक्त आराजियात का उपयोग उपभोग कर रहे है। अन्य तथ्य मनगड़ंत होने से अस्वीकार हैं। भंवरलाल के विपक्षी नम्बर 1 के दो पुत्र व एक पुत्री ... है। ... प्रार्थना में प्रार्थी द्वारा तथ्य छीपा कर उक्त वाद पेश किया है तथा प्रार्थी का ... आराजियात होने पर संभावित 1/4 हक हिस्सा ही बनता है, जब कि ... गलत हक हिस्सा दर्शाया गया है जिससे कि प्रार्थी उक्त प्रार्थना ... विपक्षीगण से ... भी प्रकार से सहायता पाने का कानूनी रूप से हक अधिकारी नहीं ... विपक्षीगण को किसी भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का कानूनन रूप से हक अधिकारी नही है। अन्य तथ्य मनगड़त होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टियाा प्रकरण नहीं बनता है ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में मोके पर आराजी पर कब्जा विपक्षीगण स० 1 व 2 का है तथा वे ही काबिज होकर काश्त कर रहे है, तथा उक्त वादग्रस्त आराजी विपक्षीगण सं० 1 व 2 के बंटवाड़े में हक हिस्से में आई है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विपक्षीगण के विरुद्ध सव्यय खारीज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:51 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर निम्बाहेड़ा

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में अधिवक्ता प्रार्थी ने नकल शपथ पत्रो की छाया प्रति, मिलान क्षेत्रफल की छायाप्रति, जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।साथ ही निम्न नजीरे पेश की

1. 2021(1) आरआरटी 295, राजस्व मण्डल राजस्थान, माननीय सदस्य श्री पंकज नारूका उनवान सोहनलाल बनाम पेमाराम रीवीजन टी ए नम्बर 4778/2004 का पाली निर्णय दिनांक 16.12.2020 के निर्णय की प्रति
2. 2021(1) आरआरटी 1272, राजस्व मण्डल राजस्थान, माननीय सदस्य श्री रामनिवास जाट उनवान धन्नाराम बनाम रामा रीवीजन टी ए नम्बर 3379/2004 का पाली निर्णय दिनांक 09.07.2021 के निर्णय की प्रति
3. 2011(1) आरआरटी 212, राजस्व मण्डल राजस्थान, माननीय सदस्य श्री एन.के. जैन उनवान मेघराज & एनआर बनाम बालीबाई & ओआरएस रिविजन/टीए/ नम्बर 3020/2009 का चित्तौडगढ निर्णय दिनांक 05.05.2010 के निर्णय की प्रति
4. 2010 (1) आरआरटी 221, राजस्व मण्डल राजस्थान, माननीय सदस्य श्री ए.के. पुरोहिज उनवान शंकरलाल बनाम दिलीप कुमार रिविजन/टीए नम्बर 10012/2009 का अलवर निर्णय दिनांक 17.09.2009 के निर्णय की प्रति
5. 2010 (1) आरआरटी 325, राजस्व मण्डल राजस्थान, माननीय सदस्य श्री जी.के. तिवारी उनवान चनवाली & ओआरएस बनाम रामकुंवरअ & ओआरएस रिविजन/टीए/2476/2007 का झूंझूनू निर्णय दिनांक 16.09.2009 के निर्णय की प्रति

6. प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सार यह है कि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की संयुक्त स्वामित्व व पुश्तैनी पैतृक आराजियात है जो प्रार्थी के दादा नंदराम पिता राधाकिशन आमेटा निवासी धनोरा से चली आ रही है। वादी एवं प्रार्थीगण के अनुसार उक्त भूमि का मौखिक व बहामी बटवारा पूर्व में हो चुका है, उसी अनुसार सभी अपनी–अपनी कब्जे काश्त वाली आराजियात पर काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी 1 व 2 के मध्य गवाहन एवं रिश्तेदारन की मौजूदगी में बटवारा नामा तैयार कर आपस में बटवाडा किया गया। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण अपने हक हिस्से व कब्जे अनुसार शांतिपूर्ण तरिके से काबिज होकर काश्त कर रहे है। विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा बताया कि प्रार्थना पत्र में अंकित आराजियात में प्रार्थी को कोई हक हिस्सा या मौके पर बटवाडे में नहीं आई। विपक्षी के अनुसार मौखिक बटवाडे में उक्त आराजियात का प्रार्थी का कोई हक हिस्सा कब्जा नहीं है। विपक्षी के अनुसार प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 की पुत्री कमलाबाई जो आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार नहीं बनाया है। भंवरलाल विपक्षी संख्या 1 के दो पुत्र एवं एक पुत्री कमलाबाई है जिसको पक्षकार नहीं बनाया तथा प्रार्थी का पुश्तेनी आराजियात होने पर संभावित 1/4 हक हिस्सा ही बनता है। प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में मोके पर आराजी पर कब्जा विपक्षीगण संख्या 1 व 2 तथा वे ही काबिज होकर काश्त कर रहे है, तथा उक्त वादग्रस्त आराजी विपक्षीगण सं0 1 व 2 के बटवाड़े में हक हिस्से में आई है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विपक्षीगण के विरूद्ध सव्यय खारीज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:51 IST
Reason: SelfAttested

7. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

**प्रथम दृष्टया मामला**– उक्त बिन्दु को साबित करने का भार प्रार्थी का है। प्रार्थी के अनुसार उक्त विवादित आराजियात का मौखिक बटवारा पूर्व में हो चुका है। वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त कब्जे काश्त की भमि है दोनो उक्त भूमि अपने हक हिस्से कब्जे अनुसार काश्त करते है। एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण किसी मौखिक बटवाडे के आधार पर बटवारा कराना चाहता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत बटवारा न्यायालय द्वारा किया जाता है। बटवारा न्यायालय द्वारा किया दोनो पक्षो को विधिवत सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए साक्ष्य,गवाह,बयान के आधार पर अंतिम निर्णय किया जाता है वर्तमान में सभी पुश्तैनी भूमि पर अपने कब्जे काश्त अनुसार शांतिपूर्ण तरिके से कृषि कार्य करते है। प्रार्थी को विपक्षी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा का अधिकारी नहीं है। इस संबंध में सवाईसिह बनाम रास्थान RRD 507 के अनुसार एक अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनने के कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है।

**II.** **अपूरणीय क्षति**– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षी को उनके हक हिस्से से वंचित होना वह अपने अधिकारी से वंचित हो जाएगा को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात में विपक्षीगणों का जो हिस्सा दर्ज है उसी अनुसार उनका कब्जा चला आ रहा है। अपूरणीय क्षति विपक्षी के पक्ष में होने से प्रार्थीगण को विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में कोई अपूरणीय क्षति नहीं होना साबित होता है।

**III.** **सुविधा का संतुलन** :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्वण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर विपक्षी नम्बर 1 खातेदार होने से विपक्षीगण के पक्ष में साबित होते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय व्यवस्था उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**–:आदेश:–**

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है कि ग्राम धनोरा पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राजस्थान के खाता नम्बर 275 की आराजी नम्बर 1092 रकबा 0.3600 हेक्टेयर भमि में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 28.02.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ... पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2023 को लिखा ... खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:51 IST
Reason: SelfAttested

21/9/23
(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा